कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांक :– 3302–7 **दिनांक :–** 20/11/26

संशोधित कार्यालय–आदेश

मैं **डॉ. नेहा गोयल,** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माह **नवम्बर व दिसम्बर, 2026** में निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निम्न अंकित तिथि में आवश्यक दांडिक कार्य रिमाण्ड, जमानत, धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान, मृत्यु कालिक कथन, सुपुर्दगी, अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य/सेशन कार्य, प्रोटोकॉल हेतु अपने न्यायालय में वक्त प्रातः 11.00 ए एम से दोपहर 02.00 पी एम (मोर्निंग समय में–10ए.एम से 12ए.एम.) तक करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करती हूँ –

माह नवम्बर व दिसम्बर, 2026

क्र० सं०	दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम	न्यायालय का नाम	मोबाईल नम्बर
01	**22.11.2026**	Mr. Purushottam Mishra	A.C.J.M.-2, ALWAR	9953870811
02	**13.12.2026**	Mrs. Sonal Mishra	A.C.J.M.-4, ALWAR	9413088936

नोट–1–उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व-कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा किन्हीं परिस्थितियो में **पूर्व/पश्चात्** दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्य दिवस कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

2–उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो उनके स्थान पर उक्त पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु विशेष कारणों पर उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

3–अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। सबंधित थानाधिकारी के द्वारा मात्र विशेष एवं आपवादिक परिस्थितियों में ही मुलजिम को निवास पर पेश किया जावे। सबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

4–नियत किए गए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी कों असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को नियत अवधि से कम से कम 04 दिन पूर्व सूचित करेगें तो इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पास्ति होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।

5–अवकाश के दिन यदि सम्बधित न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा लिंक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित है तो वह अपने परिक्षेत्र से सबंधित उक्त कार्य करेगें।

6= उक्त संशोधित आदेश के अलावा पूर्व का आदेश कमांक 1872–76 दिनांक 29.06.2026 यथावत रहेंगा।

20/11/2026

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अ ल व र

क्रमांक :– 3902–7 दिनांक :– 20/11/24

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर।
2. पुलिस अधीक्षक महोदय, अलवर
3. संबंधित पीठसीन अधिकारी
4. पुलिस कन्ट्रोल रूम, अलवर/ए डी पी ऑफिस, अलवर
5. कार्यालय प्रति/एस.ओ. कम्प्यूटर शाखा,अलवर (समस्त थानाधिकारी/ पीठासीन अधिकारी को जरिये ई मेल सूचित करे)
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय अलवर को जिला न्यायालय की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

20/11/2024

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

अ ल व र

क्रमांकः स्टेनो/2026/234 **दिनांकः** 20/11/2026

प्रेषकः- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट संख्या-4, अलवर, राजस्थान।

प्रेषितिः- श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर।

विषयः- दिनांक 22.11.2026 को निर्धारित रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान किये जाने बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सविनय निवेदन है कि मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता, न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-4, अलवर की रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक 22.11.2026 को निर्धारित है तथा न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, अलवर की रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक 13.12.2026 को निर्धारित है। मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को अपरिहार्य एवं आवश्यक व्यक्तिगत कार्य के लिए दिनांक 21.11.2026 व 22.11.2026 को जयपुर जाना आवश्यक है, जिस कारण दिनांक 22.11.2026 को निर्धारित रिमाण्ड ड्यूटी का निर्वहन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, अलवर के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 22.11.2026 की रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई है तथा इसके प्रतिफलस्वरूप मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 13.12.2026 की रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु सहमति व्यक्त की गई है।

अतः दोनों पीठासीन अधिकारियों की आपसी सहमति को दृष्टिगत रखते हुए आपसे निवेदन है कि मुझ पीठासीन अधिकारी की दिनांक 22.11.2026 की रिमाण्ड ड्यूटी का निर्वहन न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, अलवर के पीठासीन अधिकारी द्वारा किए जाने तथा न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, अलवर की दिनांक 13.12.2026 की रिमाण्ड ड्यूटी मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता से करवाये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

इसके लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता आपकी आभारी रहेगी।

'आदर सहित'

भवदीया

(सोनल मिश्रा)
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या-04, अलवर

अति० वरिष्ठ सि० न्या० एवं